मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग

निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल,

58 अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011

अपील कमाँक ए–103 / रासूआ / 30–2 / भिण्ड / 06

श्रीमती बीना चौहान, अपीलकर्ता
पत्नी श्री प्रयागसिंह चौहान,
जिला अस्पताल केम्पस,जिला भिण्ड

विरूद्ध

संचालक, अपीलीय अधिकारी
स्वास्थ्य सेवाएं
मध्यप्रदेश भोपाल ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी
जिला भिण्ड ।

आदेश

(दिनांक 21 जून, 2006)

श्रीमती बीना चौहान ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत की है । अपीलकर्ता ने लोक सूचना अधिकारी को एक आवेदन दिनांक 12.12.2005 को अधिनियम की धारा 6 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत करके 18 बिंदुओं में जानकारी मांगी थी । निर्धारित अवधि में जानकारी न मिलने पर अपीलकर्ता ने एक अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष 10.2.2006 को प्रस्तुत की । प्रथम अपीलीय अधिकारी से आदेश प्राप्त न होने पर यह अपील राज्य सूचना आयोग में दिनांक 10.3. 2006 को प्रस्तुत की गई ।

2. इस प्रकरण में अपीलकर्ता के अपील ज्ञापन पर लोक सूचना अधिकारी एवं अपील अधिकारी को अपील के बिंदुओं पर प्रतिवेदन देने के लिए लिखा गया था । लोक सूचना अधिकारी ने यह उत्तर दिया है कि उन्होंने अपीलकर्ता को दिनांक 17.2. 2006 को जानकारी प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा था, लेकिन अपीलकर्ता ने पत्र लेने से इंकार कर दिया और उनके कार्यालय से कोई संपर्क नहीं किया । अपीलकर्ता को पुनः दिनांक 7.4.06 को पत्र भेजा गया था कि वह 200/– रूपये दिनांक 12.4.2006 तक जमा करें, लेकिन उन्होंने यह पत्र लेने से इंकार कर दिया । लोक सूचना अधिकारी ने

दोनों पत्रों को भेजे जाने के संबंध में और जो पत्र अपीलकर्ता द्वारा लेने से इंकार किया गया,उसकी छायाप्रति प्रस्तुत की है ।

3. इस प्रकरण में अपील अधिकारी से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

4. इस प्रकरण को दिनांक 21 जून 2006 को मौखिक सुनवाई के लिए रखा गया था जिसमें अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित हुईं । लोक सूचना अधिकारी तथा अपील अधिकारी उपस्थित नहीं हुए । अपील अधिकारी के संबंध में यह जानकारी प्राप्त हुई कि वह माननीय मुख्यमंत्रीजी के साथ भ्रमण में हैं, इसलिए उपस्थित नहीं हो सकते ।

5. इस प्रकरण में दो बातें स्पष्ट हैं, पहली बात तो यह कि लोक सूचना अधिकारी ने अपनी ओर से अपीलकर्ता को जानकारी देने का प्रयत्न किया और इस संबंध में उन्होंने दो पत्र भी अपीलकर्ता को लिखे, लेकिन उन्होंने या तो पत्र लिये नहीं या पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्यालय से संपर्क करके जानकारी प्राप्त करने की कार्यवाही नहीं की । दूसरी बात स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 19 (6) के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील का निराकरण 30 दिन या 30 दिन से विस्तारित अवधि 45 दिन के अंदर कर देना चाहिए । अपीलकर्ता ने प्रथम अपील 10.2.06 को अपील अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की । इसके बाद उन्हें कम से कम 45 दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी और इसके बाद ही उन्हें द्वितीय अपील करना चाहिए थी, लेकिन अपील अधिकारी के आदेश की प्रतीक्षा के बिना उन्होंने दिनांक 10.3.2006 को राज्य सूचना आयोग को अपील प्रस्तुत कर दी । इस प्रकार की कार्यवाही उचित नहीं है । अपीलकर्ता को यह चाहिए था कि वह प्रथम अपील में आदेशों की प्रतीक्षा करने के उपरांत ही निर्धारित अवधि के बाद दूसरी अपील आयोग में प्रस्तुत करतीं । उल्लेखनीय है कि अपील अधिकारी ने भी अपने आदेश में जो उन्होंने अपीलकर्ता को भेजा है, में निर्देशित किया है कि वह निर्धारित शुल्क जमा करके जो जानकारी चाहते हैं,वह प्राप्त कर सकते हैं ।

6. उपरोक्त स्थिति को देखते हुए कि लोक सूचना अधिकारी एवं अपील अधिकारी अपीलकर्ता को जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार हैं, इस अपील का कोई औचित्य नहीं है । लोक सूचना अधिकारी जिस प्रपत्र की जानकारी अपीलकर्ता को चाहिए और जो उनके कार्यालय में उपलब्ध हो, उसकी प्रतिलिपि अपीलकर्ता को दे सकते हैं । अन्य जानकारी जैसे रोस्टर अनुसार संवर्गवार स्वीकृत पद, कार्यरत एवं रिक्त पद एवं अनुकंपा नियुक्ति इत्यादि की जानकारी के संबंध में लोक सूचना अधिकारी अपीलकर्ता को अभिलेख दिखा सकते हैं । यह अभिलेख निर्धारित शुल्क के भुगतान करने के बाद दिखाए जाएं ।

7. उपरोक्त निर्देशों के साथ इस अपील का निराकरण किया जाता है ।

(टी0एन0श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त